उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-162/2019/2517/92-2-19-164जांच/2015

लखनऊ:: दिनांक:: 05 नवम्बर 2019

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-श्रावस्ती में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत कराये गये निर्माण कार्यो में धन की उपलब्धता के उपरांत भी समय से कार्य न कराने, निर्माण कार्यो का समय से निरीक्षण न किये जाने, गुणवत्तापूर्वक कार्य न कराये जाने, निविदा कार्य में निष्पक्षता संदिग्ध होने, सरकारी कार्यो में रूचि न लेने तथा कार्यस्थल का चयन सुचारू रूप से न किये जाने आदि अनियमितता हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञापसं0-108/17/1117/92-2-17-164जांच/15 दि0 11.07.2017 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील)नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत श्री राजेन्द्र प्रसाद, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रा0वि0विभाग, प्रखण्ड-श्रावस्ती के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये जांच के सम्पादनार्थ मुख्य अभियंता(पू0क्षे0), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया। कालान्तर में शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-662/92-2-18-164जांच/15 दि0 23-04-2018 द्वारा जांच अधिकारी परिवर्तित करते हुये निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया। जांच अधिकारी/निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र सं0-1137/ग्रा0अ0वि0/कैम्प-नि0मु0अ0/जांच-शि0शि0/18-19 दि0 11-08-2018 द्वारा जांच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी।

2- जांच अधिकारी/निदेशक एवं मुख्य अभियंता की जांच आख्या दिनांक 11-08-2018 में अपचारी अधिकारी, श्री राजेन्द्र प्रसाद पर अधिरोपित कुल 03 आरोपों में से आरोप सं0-1 व 2 आंशिक रूप से स्थापित पाये जाने पर उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-9(4) में निहित व्यवस्था के अंतर्गत शासन के पत्रसं0-2565/92-2-18-164जांच/2015 दिनांक 12-12-2018 द्वारा उनका लिखित अभ्यावेदन मांगा गया, जो उनके पत्र दि0 15-03-19 द्वारा शासन में उपलब्ध कराया गया। अपचारी अधिकारी, श्री राजेन्द्र प्रसाद पर आंशिक रूप से स्थापित पाये गये आरोप सं0-1 व 2, जांच अधिकारी की जांच आख्या, अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन का विस्तृत विवरण निम्नवत है :-

आरोप संख्या-1

निदेशालय के कार्यालय पत्रांक-611/ग्रा0अ0वि0/शि0-श्रावस्ती/दि0 01-12-2015 के निर्देश के क्रम में श्रीमती इन्द्राणी वर्मा, मा0 विधायक, भिनंगा के शिकायती पत्र क्रमश: दि0 13-08-15 एवं दि0 08-10-2015 जो आपके दूषित कार्य प्रणाली एवं निर्माण कार्यो में की जा रही अनियमितता से संबंधित है, की जांच तत्का0 अधीक्षण अभियंता, परि0-देवीपाटन जनपद गोण्डा द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक-808/ग्रा0अ0वि0/एस0टी0/2015-16 दि0 05-12-2016 द्वारा प्रस्तुत जांच आख्या में उल्लेख किया गया है कि आप द्वारा डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना में धन उपलब्धता के उपरान्त भी कार्य समय से नही कराया गया और न ही आप द्वारा धन का उपभोग ही किया गया। वित्तीय वर्ष 2014-15 में 650 लाख के सापेक्ष 620 लाख एवं वित्तीय वर्ष 2015-16 में 282 लाख के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सापेक्ष आप द्वारा कोई धनराशि व्यय नही की गई। वर्ष 2015-16 की कार्य योजना दि0 12-06-2015 को अनुमोदित कर दी गयी थी, तथा टेण्डर की टेक्निकल बीड 24-08-2015 को खोली गई, परन्तु आप द्वारा 03 अनुबंध माह फरवरी एवं माह मार्च 2016 में किये गये है। आप द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के 03 अनुबंधों में अधिक विलम्ब होना प्रमाणित होता है, जिसकी पुष्टि श्री दिनेश कुमार, अधीक्षण अभियंता द्वारा अपनी जांच आख्या दिनांक 26-09-2016 में भी की गयी है। अतएव अनुबंध गठन की कार्यवाही में हुये विलम्ब के लिये आप उत्तरदायी पाये गये है।

<u>अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर</u>

लोहिया समग्र ग्राम 2015-16 की कार्य योजना दि0 12-06-2015 के अनुमोदनोपरांत प्रखण्डीय कार्यालय के पत्र दि0 17-06-2015 द्वारा वृहद प्रचार-प्रसार कर समाचार पत्रों के माध्यम से निविदायें आमंत्रित की गयी थी। प्रखण्डीय कार्यालय के पत्र दि0 23-07-2015 द्वारा स्थानीय पुलिस/प्रशासन से सहयोग हेतु अनुरोध करने के उपरांत भी उनके द्वारा समुचित ध्यान न दिये जाने तथा निविदा विक्रय के दौरान दि0 29.07.2015 को असामाजिक तथ्यों द्वारा स्वहित में निविदा कार्य में व्यवधान उत्पन्न किये जाने, कार्यालय कक्ष में प्रवेश कर अभद्रता किये जाने के कारण निविदा निरस्त कर दी गयी थी। पुनः पत्र दि0 30-07-2015 द्वारा निविदा आमंत्रित की गयी, जो जिलाधिकारी, श्रावस्ती के सहयोग के क्रम में शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हुई। उक्त निविदा में प्रखण्ड स्तर पर 58 एवं परिमण्डल स्तर पर 32 तथा जनपद एवं कार्यालय स्तर से 20 निविदाओं सहित कुल 110 निविदाओं की बिक्री हुई। लोहिया समग्र ग्राम निर्माण हेतु 25 कार्य स्वीकृत हुये। सभी 25 ग्रामों हेतु विभागीय दर से 19.99 प्रतिशत कम दरों पर निविदायें प्राप्त हुई, जिससे शासकीय धन की बचत भी हुई। निविदा प्रक्रिया के दौरान असामाजिक तथ्वों द्वारा व्यवधान उत्पन्न किये जाने के उपरांत भी अनुबंध गठन में प्रखण्ड स्तर से कोई विलम्ब नही हुआ।

धन उपलब्धता के बावजूद भी उपभोग समय से न किये जाने के संबंध में श्री राजेन्द्र प्रसाद द्वारा अवगत कराया गया है कि कार्य से संबंधित समस्त धनराशि 04 किश्तों में विभाग को प्राप्त हुई थी। प्रथम किश्त के रूप में अनुदान सं0-14 संबंधित राशि डी0पी0आर0ओ0 कार्यालय के पत्र दि0 18-09-2015 द्वारा रू0 282 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ, परन्तु पंचायती चुनाव संबंधित अधिसूचना निर्वाचन विभाग के पत्र दिनांक 07-11-2015 द्वारा जारी होने के कारण अनुबंध गठन किये जाने में कार्यवाही अवरूद्ध हो गयी। अनुबंध गठन संबंधी कार्यवाही दि0 04.11.2015 से 07-11-2015 के मध्य पूर्ण करायी गयी। द्वितीय किश्त की धनराशि दि0 11-01-2016 को 66 लाख तथा अवशेष धनराशि तृतीय वचतुर्थ किश्त के रूप में दि0 31-03-2016 को प्राप्त हुई। उक्त संबंधित कार्यो की निविदायें पत्र दि0 19-08-2015 द्वारा दि0 24-08-2015 को खोली गयी। निविदा प्रक्रिया में लगभग डेढ माह का समय व्यतीत हुआ। 05 कार्यो की धनराशि दि0 31-03-2016 को प्राप्त होने के उपरांत 03 कार्यो की अनुबंध गठन की कार्यवाही करायी गयी। इस प्रकार से धनराशि उपलब्धता के अनुरूप अनुबंध गठन के साथ-साथ निर्माण कार्य कराये जाने की कार्यवाही समय से करायी गयी। साथ ही उपयोगिता प्रमाण पत्र भी जिलाधिकारी को उपलब्ध कराया गया। उपरोक्त तथ्यों की पुष्टि अधीक्षण अभियंता, परि0-गोण्डा की आख्या दि0 29-09-2016 में भी की गयी है। उक्त के साथ ही अपचारी अधिकारी द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि तत्समय प्रखण्ड में अवर अभियंता/सहायक अभियंता/खण्डीय लेखाकार की निरन्तर कमी के बावजूद भी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उनका मांग करते हुये उनके द्वारा कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पडने के संबंध में आवश्यक कार्य किया जाता रहा।

उक्त के साथ ही अपचारी अधिकारी द्वारा अनुबंध गठन के समय आंशिक विलम्ब के संबंध में अवगत कराया गया है कि उक्त परिलक्षित आंशिक विलम्ब संबंधित ठेकेदारों की लापरवाही के कारण हुआ। धन प्राप्ति दि0 16-01-2016 के उपरांत सभी ठेकेदारो द्वारा अनुबंध की कार्यवाही नही करायी गयी, जिसके संबंध में पत्र दि0 10-02-2016 द्वारा ठेकेदारों को नोटिस निर्गत की गयी। वित्तीय वर्ष 2014-15 में रू0 650 लाख के सापेक्ष प्रखण्ड द्वारा व्यय किया गया। रू0 620 लाख को खराब वित्तीय प्रगति नही कहा जा सकता क्योंकि रू0 620 लाख व्यय के उपरान्त बची अवशेष धनराशि सेन्टेज चार्जेज एवं अनुबंध के अंतिम भुगतान आदि से संबंधित थी, जिनका तत्काल भुगतान किया जाना संभव नही था।

बार्डर एरिया योजनान्तर्गत वर्ष 2015-16 में स्वीकृत ग्राम कटरा माफी, हसनापुर, बालूपुरवा मार्ग के कटान पर काजवे निर्माण कार्य के प्राक्कलन के गठन का कार्य तत्का0 अवर अभियंता, श्री हरिमोहन सिंह एवं सहायक अभियंता, श्री अभय शंकर सिंह द्वारा किया गया था।

<u>जांच अधिकारी की विवेचना</u>

अपचारी अधिकारी पर डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अंतर्गत धन उपलब्धता के बावजूद निर्माण कार्य कराकर समय से धन का उपयोग न करने एवं 03 अनुबंध अत्यन्त विलम्ब से माह फरवरी एवं माह मार्च 2016 में गठित किये जाने हेतु आरोपित किया गया है।

अपचारी अधिकारी द्वारा अपने बचाव उत्तर में उल्लेख किया गया है कि डॉ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास वर्ष 2015-16 की कार्य योजना दिनांक 12-06-2015 को अनुमोदित हुई तदोपरान्त पत्र दि0 17-06-2015 द्वारा निविदायें प्रकाशित कर दी गयी थी। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा व्यवधान उत्पन्न किये जाने के कारण निविदा निरस्त कर दी गयी तथा पुनः अधिशासी अभियंता, ग्रा0अ0वि0, प्रखण्ड-श्रावस्ती के पत्र दि0 30-07-2015 द्वारा निविदायें आमंत्रित की गयी एवं जिला प्रशासन के सहयोग से शान्तिपूर्ण ढंग से निविदाओं की बिक्री करायी गयी एवं सभी 25 निर्माण कार्यो हेतु प्रतिस्पर्धात्मक दरें भी प्राप्त हुई।

वित्तीय वर्ष 2014-15 में स्वीकृत धनराशि 650.00 लाख के सापेक्ष 620.00 लाख का ही व्यय किये जाने के संबंध में अपचारी अधिकारी ने अपने बचाव उत्तर में उल्लेख किया है कि 650.00 लाख आवंटित धनराशि के सापेक्ष 620.00 लाख के व्यय को खराब वित्तीय व्यय नही कहा जा सकता क्योंकि बची हुई धनराशि सेन्टेज चार्जेज एवं अनुबंध के अंतिम भुगतान की थी जिनका भुगतान तत्काल नही किया जा सकता था। अपचारी अधिकारी का उक्त कथन उचित प्रतीत होता है क्योंकि अनुबंध के अन्तिमीकरण में कुछ समय लगना स्वाभाविक है एवं अंतिमीकरण के उपरांत ही पूर्ण धनराशि का उपभोग संभव हो पाता है।

अपचारी अधिकारी ने अपने बचाव उत्तर में यह भी उल्लेख किया है कि वर्ष 2015-16 में जिला प्रशासन से उक्त कार्यो की स्वीकृति के अनुरूप 04 किश्तों में धनराशि प्राप्त हुई, जिस कारण अनुबंध गठन में कुछ विलम्ब हुआ। अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-देवीपाटन गोण्डा के कार्यालय पत्र दि0 26-09-2016 द्वारा निविदा प्रक्रिया एवं अनुबंध गठन के विलम्ब की जांच आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि जिला प्रशासन से धनराशि प्राप्त होने एवं निविदा प्रकिया पूर्ण होने के उपरांत अनुबंध गठन में लगे डेढ महीने के समय को स्वाभाविक समय माना गया है परन्तु अधीक्षण अभियंता, देवीपाटन गोण्डा द्वारा भी 03 कार्यो जिनके अनुबंध माह फरवरी एवं माह मार्च,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2016 में गठित हुये उन अनुबंधों का विलम्ब से गठित किया जाना माना गया है। उक्त 03 कार्यो के अनुबंध गठन में हुये विलम्ब के संबंध में अपचारी अधिकारी द्वारा अपने बचाव उत्तर में उल्लेख किया गया है। उक्त तीनो कार्यो के स्वीकृति पत्र प्रखण्ड के पत्र दि0 19-09-2015, पत्र दि0 19-09-2015 एवं पत्र दि0 19-09-2015 (धनांवटन प्राप्त होने से पूर्व) द्वारा निर्गत किया गया था तथा जिला पंचायत राज अधिकारी के पत्र दि0 11-01-2016 द्वारा धनराशि दि0 16-01-2016 को प्राप्त होने के उपरांत संबंधित ठेकेदारों द्वारा अनुबंध गठन की कार्यवाही नही करायी गयी। इस प्रकार अपचारी अधिकारी के अनुसार ठेकेदारों द्वारा अनुबंध गठन कराने में विलम्ब किया गया, जिसके लिये अपचारी अधिकारी द्वारा अपने कार्यालय पत्र दि0 10-02-2016, पत्र दि0 10-02-2016 एवं पत्र दि0 16-02-2016 द्वारा नोटिस भी दिये गये थे, तथा यह उल्लेख किया है कि जिन कार्यो के अनुबंध विलम्ब से गठित हुये थे उन्हें भी समय से पूर्ण कराया गया।

अपचारी अधिकारी द्वारा साक्ष्य स्वरूप संलग्न प्रगति आख्या के अनुसार कुल स्वीकृत धनराशि रू0 580.00 लाख के विरूद्ध 31-03-2016 तक धनराशि 360.00 लाख का व्यय किया गया एवं 25 ग्रामों के सापेक्ष 21 ग्रामों में सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन का कार्य पूर्ण दर्शित है। इस प्रकार 03 अनुबंधों को माह फरवरी एवं मार्च 2016 में गठित किये गये कार्य समय से पूर्ण नहीं हो पाये यद्यपि अनुबंध गठित कराने हेतु अपचारी अधिकारी द्वारा संबंधित ठेकेदारों को नोटिस जारी किये गये है, जिससे प्रतीत होता है कि अनुबंध गठन में विलम्ब ठेकेदारों के स्तर से हुआ है, परन्तु अपचारी अधिकारी को भी महत्वपूर्ण कार्यो में अनुबंध शीघ्र गठित कराये जाने का सार्थक प्रयास करना चाहिये था या जमानती धनराशि जब्त करनी चाहिये थी। ऐसा प्रतीत होता है कि अपचारी अधिकारी द्वारा शीघ्र अनुबंध गठन का सार्थक प्रयास नहीं किया गया जिस कारण से 25 ग्रामों में से 21 ग्रामों को ही दि0 31-03-2016 तक संतृप्त किया जा सका।

निष्कर्ष

उपरोक्त विवेचना के अनुसार आरोप अपचारी अधिकारी पर आंशिक रूप से स्थापित होता है।

अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन

अपचारी अधिकारी द्वारा अपने अभ्यावेदन में जांच अधिकारी के दिये गये बचाव उत्तर के अतिरिक्त किसी ऐसे नवीन तथ्य का उल्लेख नही किया गया है कि जिससे संज्ञान में लेते हुये जांच अधिकारी के निष्कर्ष में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जा सकें।

आरोप संख्या-2

श्री निखिल चन्द्र शुक्ला, तत्का0 जिलाधिकारी, श्रावस्ती द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक-16407 दि0 08-01-2015 द्वारा तहसील दिवस में अनुपस्थित रहने के कारण आपका वेतन रोका गया तथा मो0 जुबेर अली हाशमी, तत्का0 जिलाधिकारी, श्रावस्ती द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक-16954/एस0टी0/कैम्प/दि0 13-06-2015 द्वारा बैठक में उपस्थित न रहने, सूचना प्रस्तुत न करने एवं बिना अनुमति के मुख्यालय से पलायन करने के कारण आपका वेतन रोका जाना। आपकी दूषित कार्य प्रणाली के कारण कई अन्य जिलाधिकारियों द्वारा कई बार आपका वेतन रोका गया हैं। उक्त कार्यवाही से स्पष्ट है कि आप शासकीय कार्यो के प्रति शासन द्वारा सौपे गये दायित्वों का पालन आपके द्वारा नही किया गया है, जिसके लिये आप उत्तरदायी है।

अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर

जिलाधिकारी द्वारा वेतन बार-बार रोके जाने के संबंध में अवगत कराया गया है कि जिलाधिकारी द्वारा वेतन रोके जाने से पूर्व न तो आख्या मांगी गयी न ही प्रकरण की पूर्ण जानकारी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

मांगी गयी, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई। पूर्ण वस्तुस्थिति से अवगत कराये जाने पर जिलाधिकारी के पत्र दि0 06-10-2015 एवं जिला विकास अधिकारी के पत्र दि0 24-10-2015 द्वारा वेतन आहरण की अनुमति प्रदान की गयी। दि0 13-05-2017 की मण्डलीय समीक्षा बैठक में ग्रा0अ0वि0 द्वारा कराये जा रहे सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन के निर्माण कार्यो को मण्डल स्तर पर ग्रेड-1 व प्रदेश में सातवें क्रमांक पर पाये जाने तथा अधीक्षण अभियंता के पत्र दिनांक 13-07-2015 में की गयी प्रसंशा एवं बधाई को आरोप गठन के समय संज्ञान में नही लिया गया जिससे स्पष्ट है कि दूषित कार्य प्रणाली हेतु लगाया गया आरोप प्रमाणित नही होता है।

<u>जांच अधिकारी की विवेचना</u>

अपचारी अधिकारी का वेतन श्री निखिल चन्द्र शुक्ला, तत्का0 जिलाधिकारी, श्रावस्ती द्वारा अपने कार्यालय पत्र दि0 08-01-2015 द्वारा तहसील दिवस में अनुपस्थित रहने तथा श्री मो0 जुबेर अली हाशमी, तत्का0 जिलाधिकारी, श्रावस्ती द्वारा अपने कार्यालय पत्रदि0 13-06-2015 द्वारा बैठक में उपस्थित न रहने, सूचना प्रस्तुत न करने एवं बिना अनुमति के मुख्यालय से बाहर रहने के कारण वेतन रोके जाने तथा अपचारी अधिकारी के दूषित कार्य प्रणाली के कारण कई अन्य जिलाधिकारियों द्वारा कई बार वेतन रोके जाने हेतु आरोपित किया गया है।

उक्त संबंध में अपचारी अधिकारी द्वारा अपने बचाव उत्तर में आरोप का खण्डन करते हुये उल्लेख किया गया है कि जिलाधिकारी द्वारा वेतन रोकने से पूर्व कोई आख्या नहीं मांगी गयी एवं प्रकरण की सही जानकारी न होने के कारण भ्रम की स्थिति में वेतन रोकने के आदेश कर दिये गये तथा स्पष्टीकरण उपलब्ध कराये जाने पर जिलाधिकारी के पत्र दि0 06-10-2015 माह जनवरी, 2015 एवं जून, 2015 का वेतन आहरित करने की अनुमति प्रदान कर दी गयी तथा जिलाधिकारी के पत्र दि0 23-09-2015 द्वारा रोके गये वेतन को भी डिजिटल डायरी उपलब्ध कराये जाने पर जिला विकास अधिकारी, श्रावस्ती के पत्र दि0 24-10-2015 द्वारा रोका गया वेतन आहरित करने की अनुमति प्रदान कर दी गयी।

इस संबंध में अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-देवीपाटन गोण्डा द्वारा भी अपनी आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि अपचारी अधिकारी का वेतन विभिन्न कारणों से कई बार रोके जाने की अभिलेखों से पुष्टि होती है, जिससे यह प्रतीत होता है कि अपचारी अधिकारी का जिला प्रशासन से समन्वय अच्छा नहीं था, जिस कारण समय-समय पर वेतन रोकने की स्थिति उत्पन्न हुई। यदपि स्पष्टीकरण उपलब्ध कराये जाने पर जिला प्रशासन द्वारा वेतन आहरित कर दिया गया परन्तु जिला स्तरीय अधिकारियों के लिये वेतन रोके जाने की स्थिति उत्पन्न होना उचित नही है। अत: उपरोक्त विवेचना के आधार पर आरोप अपचारी अधिकारी पर आंशिक रूप से स्थापित होता है।

<u>निष्कर्ष -</u>

उपरोक्त विवेचना के अनुसार आरोप अपचारी अधिकारी पर आंशिक रूप से स्थापित होता है।

<u>अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन</u>

अपचारी अधिकारी द्वारा अपने अभ्यावेदन में जांच अधिकारी के दिये गये बचाव उत्तर के अतिरिक्त किसी ऐसे नवीन तथ्य का उल्लेख नही किया गया है कि जिससे संज्ञान में लेते हुये जांच अधिकारी के निष्कर्ष में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जा सकें।

3- अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप, अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर, जांच अधिकारी की जांच आख्या आख्या, अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त यह

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पाया गया कि अपचारी अधिकारी श्री राजेन्द्र प्रसाद द्वारा डॉ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत धन की उपलब्धता होने के उपरांत भी शीघ्र अनुबंध गठित किये जाने की दिशा में सार्थक प्रयास नही किया गया साथ ही श्री राजेन्द्र प्रसाद जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित करने में भी असफल रहे थे। अतएव अपचारी अधिकारी, श्री राजेन्द्र प्रसाद, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-श्रावस्ती के विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 11-07-2017 द्वारा प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही को उन्हें निम्नवत परिनिन्दा का दण्ड देते हुये समाप्त किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

"जनपद श्रावस्ती के कार्यकाल के दौरान डॉ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत धन की उपलब्धता होने के उपरान्त भी अनुबंध गठन में शीघ्रता न करने एवं जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित न कर पाने की अनियमितता हेतु श्री राजेन्द्र प्रसाद, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-श्रावस्ती को **परिनिन्दित** किया जाता है।"

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-161/2019/2517 /(1)/92-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
2- श्री राजेन्द्र प्रसाद, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-श्रावस्ती सम्प्रति अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग सम्बद्ध मुख्यालय द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।